प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में

वर्ष 2019 के बजट में कई योजनाओं का ऐलान किया गया था| इन योजनाओ में से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना भी शमील है| इस योजना का प्रमुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है| इस योजना के तहत मजदूरों के लिए पेंशन प्रदान की जाएगी|

प्रमुख्य तथ्य -

1. इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। यह पेंशन उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी। इस योजना के लिए पेंशनभोगियों को हर माह 55 से 200 रुपए का योगदान देना होगा।
2. इस योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 21 हजार रुपए तक के वेतन वाले लोगों को 7 हजार रुपए तक का बोनस का ऐलान भी किया गया। इसके अतिरिक्त श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया।
3. यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू हो चुकी है। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की उम्र के असंगठित कामगार हर महीने 55 से 200 रुपये तक का योगदान करेंगे और बराबर की रकम सरकार जमा करेगी।
4. इस योजना के तहत घरेलू कामगारों, फेरी वालों, मध्याह्न भोजन (मिड डे मिल) बनाने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट भट्ठे में काम करने वालों, मोची, कूड़ा बीनने वालों, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर आदि को लाभ मिलेगा।
5. इस योजना के तहत मासिक आय 15 हजार रुपये से कम हो और जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हों, वही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
6. इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, जो उसका पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में इस पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल पचास प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी परिवार पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी|

स्त्रोत

www.cgpsc.info